न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :टीना डाबी, आई0ई0एस0

राजस्व अपील सं. 19/2025

अपीलांट– *बनाम* **रेस्पोडेंट–**

हीराराम पुत्र पीराराम जाति
जाट निवासी गोमरख धाम
पटवार हल्का तारातरा मठ
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 169 दिनांक 01.05.2018 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री जेठाराम प्रजापत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट प्रर्फोमा पक्षकार

निर्णय

दिनांक : 06.08.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन द्वारा ग्राम गोमरखधाम पटवार क्षेत्र तारातरा मठ के खसरा नंबर 92 रकबा 116–10 बीघा किस्म बा0 सो0 में से 1–15 बीघा भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा गोमरखधाम के खसरा नंबर 92 रकबा 116–10 बीघा भूमि के खातेदारान हीराराम पुत्र पीराराम जाति जाट निवासी गोमरख धाम पटवार हल्का तारातरा मठ तहसील चौहटन जिला बाड़मेर ने दिनांक 09.05.2018 को तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया तथा प्रार्थना की कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड मे अमलदरामद करवाने का आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

फरमावें। उक्त खातेदारान की पहचान हल्का पटवारी तारातरामठ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 1–15 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकार की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 169 दिनांक को पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.04.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि मौजा गोमरख धाम पटवार क्षेत्र तारातरा मठ तहसील चौहटन मे मूल खसरा नंबर 92 कुल रकबा 116–10 बीघा का आया हुआ है। अपीलांट ने उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने हेतु आवेदन तहसीलदार चौहटन के समक्ष राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में आवेदन पेश किया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा अपने रिश्तेदारों के साथ मिलीभगत व दुरभिसंधि करते हुए उनको फायदा पहुंचाने के लिये अपीलांट को धोखे में रखते हुए समर्पण पत्र के साथ खसरा नंबर 92 में से समर्पण हेतु प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा अनुसार तैयार नहीं कर अपने हिसाब से तैयार कर लिया। जिस कारण समर्पण में अपीलांट की अधिक रकबा भूमि का उपयोग किया गया है जबकि वास्तव में प्रस्तावित समर्पण अनुसार भूमि का समर्पण करने से कम रकबा भूमि का उपयोग होता है तथा मौके पर ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया जहां से नागरिकों का आवागमन निर्बाध रूप से किया जा रहा है। उक्त समर्पण पत्र आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देने एवं धोखे से पारित किया गया। लिहाजा अपीलाधीन आदेश विधिनुरूप न होने से उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि कुछ अरसा पूर्व हल्का पटवारी द्वारा धोखे से गलत स्थान पर भूमि का समर्पण करवाने के बाद राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर वर्तमान मे मौके पर दूसरा रास्ता निकालने हेतु प्रयास किया जाने लगा जिस पर अपीलांट ने विरोध किया तथा वास्तविक स्थान पर पहले से ही रास्ता मौजूद होने का निवेदन किया परन्तु हल्का पटवारी द्वारा दुबारा गलत स्थान का समर्पण होने के तथ्य से अवगत करवाया। जिस पर अपीलांट को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे। इस पर अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त की जो उन्हें दिनांक 11.03.2025 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद दर्ज करने का एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया है।

6. हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि मौजा गोमरख धाम पटवार क्षेत्र तारातरा मठ तहसील चौहटन मे मूल खसरा नंबर 92 कुल रकबा 116–10 बीघा का आया हुआ है। अपीलांट ने उक्त भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करने हेतु आवेदन तहसीलदार चौहटन के समक्ष राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में आवेदन पेश किया। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा अपने रिश्तेदारों के साथ मिलीभगत व दुरभिसंधि करते हुए उनको फायदा पहुंचाने के लिये अपीलांट को धोखे में रखते हुए समर्पण पत्र के साथ खसरा नंबर 92 में से समर्पण हेतु प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा अनुसार तैयार नहीं कर अपने हिसाब से तैयार कर लिया। जिस कारण समर्पण में अपीलांट की अधिक रकबा भूमि का उपयोग किया गया है जबकि वास्तव में प्रस्तावित समर्पण अनुसार भूमि का समर्पण करने से कम रकबा भूमि का उपयोग होता है तथा मौके पर ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया जहां से मार्ग का उपयोग निर्बाध रूप से किया जा रहा है। उक्त समर्पण पत्र आदेश अपीलकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देने एवं धोखे से पारित किया गया। जिससे अपीलाधीन आदेश विधिनुरूप न होने से उक्त आदेश खारिज करने योग्य है। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

का कथन है कि अपीलांट के द्वारा अपनी स्वतंत्र सहमति से कोई वर्तमान रेकर्ड के अनुसार कोई समर्पण नहीं करवाया है तथा अपीलांट को धोखे मे रखते हुए गलत स्थान भूमि का समर्पण करवाया गया है जबकि मौके पर अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 92 के मध्य में ग्रेवल सड़क का निर्माण किया गया है तथा मौके पर इसी स्थान पर सड़क का उपयोग हो रहा है जिस कारण उक्त आदेश षडंयत्र के तहत पारित होने से समर्पण आदेश खारिज योग्य है। हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा राजस्थान सरकार के पक्ष में भूमि समर्पण प्रार्थना–पत्र एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 के तहत प्रार्थना–पत्र में अधिकांश आवश्यक प्रविष्टियां रिक्त हैं, तहसीलदार चौहटन द्वारा किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई न ही हस्ताक्षर अंकित किये गये है, इसके साथ ही तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित समर्पण आदेश में स्वीकृति दिनांक का भी अंकन नहीं किया गया है। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि भूमि समर्पण स्वीकृति आदेश अपूर्ण प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के साथ–साथ विधिविरूद्ध पारित किया गया है जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन द्वारा समर्पण आदेश क्रमांक 169 दिनांक शुन्य ग्राम गोमरखधाम पटवार क्षेत्र तारातरा मठ के खसरा नंबर 92 रकबा 116–10 बीघा किस्म बा0 सो0 में से 1–15 बीघा भूमि के समर्पण स्वीकृति आदेश को अपास्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 06.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:15:57 IST
Reason: SelfAttested